बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :–01/भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0गुल0(लिपिकीय नियमावली)–15/2022 4816 पटना, दिनांक :–27-12-2022

अधिसूचना

सं0 ..../ भारत – संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना के लिपिकीय पदों पर भर्त्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तो को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–**
   (i) यह नियमावली 'बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार बिहार सर्वेक्षण कार्यालय तक सीमित होगा।
   (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।– इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो**
   (i) ''संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार सर्वेक्षण कार्यालय के लिपिकीय संवर्ग;
   (ii) ''राज्य सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
   (iii) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना;
   (iv) ''संवर्ग नियंत्री प्राधिकार'' से अभिप्रेत है निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप;
   (v) ''विभाग'' से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग;
   (vi) ''आयोग'' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
   (vii) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि।
   (vii) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्गो में नियुक्त सभी व्यक्ति।
   (viii) ''सीधी नियुक्ति से तात्पर्य है'' सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर नियुक्त व्यक्ति तथा
   (ix) ''अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति'' से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितो में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना ।–** लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–

क्र0	कोटि का नाम	स्तर	प्रतिशत	प्रास्थिति
1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	50	अराजपत्रित
2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	30	अराजपत्रित
3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	15	अराजपत्रित
4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	5	अराजपत्रित

टिप्पणी:– निम्नवर्गीय लिपिक, उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक एवं सहायक प्रशासी पदाधिकारी का वर्त्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा एवं पदों की संख्या तथा वेतनमान वही होगा, जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

4. **संवर्ग बल** ।— (i) यह राज्यस्तरीय संवर्ग होगा एवं आवश्यकतानुसार निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना समय–समय पर संवर्गवार स्वीकृत बल की संख्या का निर्धारण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।

(ii) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।

5. **भर्त्ती** ।— (i) निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरा जाएगा और 15 प्रतिशत पद इंटरमिडियट योग्यताधारी सुपात्र समूह "घ" (कार्यालय परिचारी) के कर्मचारियों में से भरा जायेगा।

(ii) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरूद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरांत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जाएगी।

(iii) सभी भर्त्तियाँ राज्य कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति की अनुशंसा के उपरांत सक्षम प्राधिकार के स्तर से की जाएगी।

(iv) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा।

(v) सम्यक छानबीन के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए करेगा।

(vi) भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायगी।

6. **अर्हता**।— न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इंटरमिडियट या उसके समकक्ष होगी।

7. **आरक्षण**।— भर्त्ती एवं प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्त्ती** ।— (i) नियुक्ति प्राधिकार इंटरमिडियट उत्तीर्ण कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(ii) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा**। — मूल कोटि में सीधी भर्त्ती परिवीक्षा पर दो वर्षो के लिए होगी।

10.विभागीय परीक्षा।– राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा के साथ हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता की जांच परीक्षा में उत्तीर्णता की अनिवार्यता होगी।

11.सम्पुष्टि।– परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद सम्पुष्ट किया जाएगा।

12.वरीयता का निर्धारण।– (i) संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय होगी।

(ii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्त्ती वर्षो में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गये हैं परन्तु यह भी कि किसी भर्त्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्त्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13.प्रोन्नति।– मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति बिहार सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

14.अवशिष्ट मामले।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गो के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

15.कठिनाईयों का निराकरण। – विभाग समय–समय पर इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए ऐसा सामान्य या विशेष निदेश विधि विभाग के परामर्श से जारी कर सकेगा, जो आवश्यक हो और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।

16.निर्वचन। – जहाँ नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

17.निरसन एवं व्यावृत्ति। – (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जाएगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

26/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक :- 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0गु0(लिपिकीय नियमावली)-15 / 2022 4816 पटना, दिनांक :-27-12-2022

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0गु0(लिपिकीय नियमावली)-15 / 2022 4816 पटना, दिनांक :-27-12-2022

प्रतिलिपि :- महामहिम राज्यपाल के सचिव / माननीय मुख्य मंत्री के सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / सभी विभागी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सभी समाहर्त्ता / सभी निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0गु0(लिपिकीय नियमावली)-15 / 2022 4816 पटना, दिनांक :-27-12-2022

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध कि इस सूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500(पाँच सौ) प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय।

26/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 01 / भू0अ0नि0(2)क्षे0स्था0गु0(लिपिकीय नियमावली)-15 / 2022 4816 पटना, दिनांक :-27-12-2022

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (सी0डी0 सहित)।

26/12/22

सरकार के संयुक्त सचिव

Govt. of Bihar

Revenue and Land Reforms Department

(Directorate of Land Records & Survey)

No. - 01/Bhu.Abhi.Ni.(2)Che.Astha.Gul.(Lipikiye Niyamawali)-15/2022.4816.**Patna, Dated:**-27-12-2022

Notification

No. ………………./ In exercise of the powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, on the clerical posts of the Bihar Survey Office, Gulzarbagh, Patna. The following rules are made to regulate recruitment/promotion and service conditions: -

1. Short title, extent and commencement -

(i) This rule may be called the Bihar Survey Office Clerical Cadre (Recruitment, Promotion and Service Conditions) Rules, 2022.

(ii) Its extension will be limited to Bihar Survey Office.

(iii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Definitions | In these rules, unless the context otherwise requires

(i) "Cadre" means Clerical Cadre of Bihar Survey Office;

(ii) "State Government" means the Government of Bihar;

(iii) "Appointing Authority" means the Director of Land Records and Survey, Bihar Patna;

(iv) "Cadre Controlling Authority" means the Director of Land Records and Survey:

(v) "Department" means Revenue and Land Reforms Department;

(vi) "Commission" means Bihar Staff Selection Commission;

(vii) "Due date" means the date of coming into force of these rules;

(viii) "Member" means any person appointed to the cadre and includes all the persons appointed to the cadre before the coming into force of these rules;

(ix) "Direct appointment" means a person appointed on the basis of the competitive examination conducted by the competent authority and

(x) "Appointment on compassionate grounds" means appointment on compassionate grounds as per relevant circulars/instructions of one of the dependents of a Government servant who died in service.

3. Cadre Structure - The cadre structure of the clerical cadre will be as follows: –

Sl. No.	Category Name	Level	Percentage	Status
1	Lower Divisional Clerk	Original Grade	50	Non-gazetted
2	Upper Divisional Clerk	First Promotion Level	30	Non-gazetted
3	Head Clerk	Second Promotion Level	15	Non-gazetted
4	Assistant Administrative Officer	Third Promotion Level	5	Non-gazetted

Note: The current rank of Lower Divisional Clerk, Upper DivisionalClerk, Head Clerk, Assistant Administrative Officer will continue till further orders and the number of posts and pay scale will be the same, which will be notified by the State Government from time to time.

4. Cadre Force: –

(i) This will be a state level cadre and as per the requirement, the Director, Land Records and Survey, Bihar, Patna will decide the number of sanctioned force cadre wise from time to time as per rules.

(ii) Before the implementation of these rules, the persons appointed and working in the above categories will automatically be considered included in the cadre.

5. RECRUITMENT CLASS :-

(i) 85 percent of the post of Lower Division Clerk shall be filled by direct recruitment and 15 percent post shall be filled from amongst the eligible Group 'D' (Office Attendant) employees having Intermediate qualification.

(ii) The dependents of such Government servants who have died while in service period, may be considered for appointment on compassionate ground against the vacant posts available for direct recruitment, fulfilling the requisite criteria, for which the recommendation of the Commission will not be required.

Provided that after the, appointment of dependents of Government servants who died in service, the requisition for the remaining vacancies of each calendar year shall be sent to thecommission by the month of December of that calendar year.

(iii) All recruitments will be made at the level of the competent authority after recommendation of appointment from the State Staff Selection Commission.

(iv) The Commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful candidates on the basis of competitive examination, recommend the names of the candidates in the merit list to the Appointing Authority.

(v) After due scrutiny the appointing authority shall appoint the candidates on probation for a period of two years.

(vi) The minimum age for recruitment shall be 18 years and the maximum age shall be as determined by the State Government from time to time.

6. **Qualification.** - The minimum educational qualification shall be Intermediate or its equivalent with computer operation and computer typing knowledge.

7. **Reservation.** - It will be necessary to follow the reservation/roster notified by the State Government from time to time in recruitment and promotion.

8. **Recruitment by Promotion. -**

(i) The appointing authority will prepare the merit list of Intermediate passed office attendant/ attendant.

(ii) Promotion will be given on the recommendation of the Departmental Promotion Committee according to the preference.

9. **Probation: -**

(i) Recruitment in the basic category will be on probation for two years.

10. **Departmental Examination: -** It will be mandatory to pass the Hindi noting and drafting test and test of computer ability along with the departmental examination conducted by the Revenue Board.

11. **Confirmation:** -The person on probation will be confirmed after satisfactory completion of the period of probation and passing the departmental examination.

12. **Determination of Seniority: -**

(i) The mutual preference of the members of the cadre shall be as per their merit position as determined by the Commission but the mutual preference decided before the coming into force of these rules shall be irrevocable.

(ii) The persons appointed on compassionate grounds shall be senior to those persons who have been appointed on the basis of competitive examination in the respective recruitment year. provided that the persons appointed by promotion in any recruitment year shall be senior to the persons appointed by competitive examination in the relevant recruitment year. Will be preferred.

13. **Promotion:** -Promotion from the original category to the higher category may be given by the Government of Bihar (General Administration Department) on completion of the period prescribed from time to time and on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

14. **Residual matters:** - In respect of matters not specifically covered by these rules, the members of the cadre shall be governed by the rules or orders applicable to the officers/employees of the appropriate level of the State Government.

15. **Solving difficulties:** - The Department may, from time to time, issue such general or special directions, in consultation with the Law Department, as may be necessary and not inconsistent with the provisions of these rules, for the removal of difficulties in the implementation of any of the provisions of these rules.

16. Interpretation. - Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Rules, the matter shall be decided by the Department in consultation with the Law Department and such decision shall be final.

17.Revocation and Saving. –

(i) All the earlier resolutions and instructions issued in relation to this cadre are hereby repealed.

(ii) Not withstanding such repeal, anything done or any action taken under any power conferred in such resolution, instruction shall be deemed to have been done or taken under these rules as if these rules were in force on the day on which the day such an act or action was taken.

By order of the Governor of Bihar.

26/12/22

Joint Secretary to Government
Revenue and Land Reforms
Department, Bihar, Patna

No. - 01/Bhu.Abhi.Ni.(2)Che.Astha.Gul.(Lipikiye Niyamawali)-15/2022.4816 **Patna, Dated:**-27-12-2022

Copy Forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

26/12/22

Joint Secretary to Government

No. - 01/Bhu.Abhi.Ni.(2)Che.Astha.Gul.(Lipikiye Niyamawali)-15/2022.4816 **Patna, Dated:**-27-12-2022

Copy Forwarded to Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Chief Secretary, Bihar/Additional Chief Secretary/All Principal Secretary/Secretary/All Heal of the Departments/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar/Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna/All Departmental Directorate/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Revenue & Land Reforms Deptt./Private Secretary to the Hon'ble Minister, Revenue & Land Reforms Deptt. and all Officers of Revenue & Land Reforms Deptt. for information and necessary action.

26/12/22

Joint Secretary to Government

No. - 01/Bhu.Abhi.Ni.(2)Che.Astha.Gul.(Lipikiye Niyamawali)-15/2022.4816 **Patna, Dated:**-27-12-2022

Copy Forwarded to Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna for information and necessary action. He is requested to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of general public. Kindly send 500 copies of special Gazette to the Revenue & Land Reforms Department, Bihar, Patna

26/12/22

Joint Secretary to Government

No. 01/Bhu.Abhi.Ni.(2)Astha.Gul.(Lipik Niyamawali)-15/2022..4816.. Patna, Dated :- 27-12-2022

Copy forwarded to Under Secretary, finance Department for publication in extra ordinary issue of e-Gazette. (With C.D)

26/12/22

Joint Secretary to Government